

कृपया नीचे सूचीबद्ध किए गए नियमों व शर्तों को पढ़ें। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्ड अनुप्रयोग की शर्तों और डेबिट कार्ड के लिए लागू नीचे दिए गए नियमों व शर्तों से सहमत होने और उनको स्वीकार करने पर अपने ग्राहक को रुपये द्वारा सत्यापित डेबिट कार्ड प्रदान करने के लिए सहमत है। ये नियम व शर्तें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा यथा निर्धारित किन्हीं अन्य नियमों व शर्तों के अतिरिक्त होंगे। इसके अलावा, रुपये डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय, कार्डधारक रुपये कार्ड के लिए लागू सभी दिशा-निर्देशों या नियमों के अधीन होगा, जिन्हें समय-समय पर इसी वेबसाइट पर पोस्ट किया जा सकता है।

परिभाषाएँ

1. 'बैंक', 'जना स्मॉल फाइनेंस बैंक' का अर्थ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, जो कि एक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित की गई एक कंपनी है और जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने का लाइसेंस प्राप्त है। इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है — द फेयरवे बिज़नेस पार्क, प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2B, डोमलूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ई.जी.एल. बिज़नेस पार्क के पास, चल्लघट्टा, बेंगलुरु – 560071। यह शब्दावली, जब तक कि वह विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधियों और नामित व्यक्तियों को भी सम्मिलित करेगी।
2. 'कार्ड' या 'डेबिट कार्ड' से तात्पर्य जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (कार्ड स्वामी) द्वारा कार्डधारक को जारी किए गए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक रुपये डेबिट कार्ड से है।
3. 'खाते (खातों)' से तात्पर्य कार्डधारक के बचत या चालू खाते से है जिसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा डेबिट कार्ड के वैध संचालन के लिए पात्र खाता (खाते) नामित किया गया है।
4. 'कार्डधारक', 'आप', 'आपका', 'उसे' या इस तरह के सर्वनाम, जहाँ संदर्भ ऐसा स्वीकार करता हो, से तात्पर्य जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक से होगा, जिसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा बैंक में खोले गए खाते के संबंध में कार्ड जारी किया गया है।
5. 'प्राथमिक खाता' से तात्पर्य, कार्ड से जुड़े कई खातों की स्थिति में, उस खाते से है जिससे डेबिट किया जा रहा है, जिससे खरीद संबंधी लेनदेनों, नकद निकासियों, कार्ड से संबंधित शुल्कों और प्रभारों को डेबिट किया जाता है।
6. 'एटीएम' से तात्पर्य ऑटोमेटेड टेलर मशीन से है, चाहे भारत में हों या विदेश में, चाहे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की हों या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक की हों, जहाँ कार्डधारक द्वारा पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
7. 'पिन' से तात्पर्य व्यक्तिगत पहचान संख्या (एटीएम का उपयोग करने के लिए आवश्यक) से है जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा कार्डधारक को आवंटित किया गया है।
8. 'लेन-देन' से तात्पर्य कार्ड का उपयोग कर सीधे या परोक्ष रूप से, खाते को डेबिट, क्रेडिट करने या गैर-वित्तीय लेनदेन (शेष राशि की पूछताछ, पिन में परिवर्तन, मोबाइल नंबर में परिवर्तन, आधार सीडिंग, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर) करने के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिए गए निर्देशों से है।
9. 'विवरण' से तात्पर्य जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा कार्डधारक को भेजे गए खाते के आवधिक विवरण से है, जो दी गई अवधि के दौरान कार्डधारक(कों) द्वारा किए गए लेनदेनों और उक्त खाते में शेष राशि का विवरण देता है।
10. 'रुपे एटीएम नेटवर्क' से तात्पर्य ऐसे एटीएम से है जो डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं और जो रुपये का प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। डेबिट कार्ड ('कार्ड') जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ('जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड') द्वारा जारी किया जाता है।

अर्थान्वायन

1. एकवचन के सभी संदर्भों में बहुवचन और बहुवचन के सभी संदर्भों में एकवचन शामिल है और "शामिल है" शब्द को "बिना सीमा के" अर्थान्वित किया जाना चाहिए।
2. किसी भी लिंग को शामिल करने वाले शब्दों में दूसरा लिंग शामिल है।

3. किसी भी संविधि, अध्यादेश या अन्य कानूनों के संदर्भ में तत्समय प्रवृत्त सभी विनियम और अन्य लेख तथा सभी समेकन, संशोधन, पुनः अधिनियमन या प्रतिस्थापन शामिल हैं।
4. सभी शीर्षक, बोल्ड टंकणों और इटैलिक्स (यदि कोई हो) को केवल संदर्भ की सुविधा के लिए अंतर्विष्ट किया गया है और शर्तों के अर्थ या अर्थान्वयन को परिभाषित या प्रभावित नहीं करते हैं।
5. रुपये कार्ड विनियमों के संदर्भ रुपये कार्ड द्वारा अपने नेटवर्क के सभी सदस्य बैंकों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों से संबंधित हैं।
6. सामान्य खंड अधिनियम में निर्धारित अनुसार अर्थान्वयन के नियम, जब तक कि इसके विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हों, शर्तों पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उन्हें इसमें शामिल किया गया हो।

कार्ड की वैधता और कार्डधारक के दायित्व

1. कार्ड का निर्गमन और उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और विनियमों और एफईएमए अधिनियम 1999 तथा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की शर्तों और नीतियों के अधीन होगा।
2. कार्ड का उपयोग कर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा चाहे कार्डधारक द्वारा अधिकृत हो या नहीं।
3. डेबिट कार्ड, कार्ड पर दर्शाए गए महीने/वर्ष के अंतिम दिन तक वैध रहेगा। ग्राहक से अनुरोध किया गया है कि समयसीमा समाप्त हो जाने के बाद कार्ड को टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दे। कार्ड की समयसीमा की समाप्ति से पहले जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से ग्राहक को एक नवीनीकृत डेबिट कार्ड भेजा जाएगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक समयसीमा की समाप्ति पर कार्ड के नवीनीकरण के लिए आपके खाते से किसी भी नवीकरणीय शुल्क को डेबिट करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है।
4. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) किसी को भी नहीं बताई जानी चाहिए। यह केवल कार्डधारक को ही ज्ञात होनी चाहिए और हस्तांतरणीय नहीं है और पूरी तरह से गोपनीय है।
5. कार्डधारक को खाता विवरण तैयार होने के 15 दिनों के भीतर लेन-देन विवरण में मौजूद किसी भी विसंगति के बारे में लिखित रूप से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को सूचित करना होगा। निर्धारित समय के भीतर सूचित न किए जाने की स्थिति में, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे किसी भी लेन-देन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय उपयोग

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक रुपये डेबिट कार्ड का रुपये सक्षम एटीएम वाले अन्य देशों में उपयोग किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम नियंत्रण विनियमों और अन्य लागू विनियमों/नियमों के अनुसार होना चाहिए।

व्यापारी प्रतिष्ठान पर उपयोग

1. यह कार्ड भारत और विदेश में रुपये जना बैंक कार्ड स्वीकार करने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वाराअन्य सभी एजेंसियों और रखे गए पीओएस टर्मिनल पर स्वीकार किया जाता है।
2. यह कार्ड केवल पीओएस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है। जब भी किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में कार्ड का उपयोग किया जा रहा हो तो ग्राहक को पीओएस टर्मिनल से मुद्रित बिक्री पर्ची पर हस्ताक्षर करना होगा।
3. साथ ही, ग्राहक को लेनदेन को अधिकृत करने के लिए एटीएम पिन दर्ज करना होगा। किसी भी स्थिति में यदि पर्ची पर कार्डधारक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह कार्डधारक द्वारा अधिकृत है, तो कार्डधारक लेनदेन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।
4. ग्राहक को पीओएस पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए स्वयं ही डेबिट कार्ड पिन दर्ज करने की सलाह दी जाती है। यदि कार्डधारक द्वारा लगातार 3 बार गलत पिन दर्ज किया जाएगा तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा।
5. बैंक पीओएस पर डेबिट कार्ड का उपयोग कर नकदी निकालना निषिद्ध करता है, जब तक कि हमारे द्वारा विशिष्ट खातों और राशियों के लिए विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।

6. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे किसी भी लेन-देन का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा जो आपका व्यापारी के साथ हो सकता है, जिसमें इस प्रकार प्राप्त की गई या प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि आपकी किसी रूपे व्यापारी प्रतिष्ठान से जुड़ी कोई शिकायत है, तो आपको व्यापारी प्रतिष्ठान से मामले को सुलझाना चाहिए और ऐसा न कर पाने पर आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।
7. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा लेनदेन के मूल्य/लागत से अधिक लगाए गए और लेनदेन की राशि के साथ आपके खाते से डेबिट किए गए किसी भी शुल्क की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
8. यदि कार्डधारक किसी त्रुटि के कारण पूर्ण हो गए लेनदेन को रद्द करना चाहता है, तो व्यापारी को पहले की बिक्री पर्ची को रद्द करना होगा और कार्डधारक को रद्द की गई बिक्री पर्ची बनाए रखनी होगी। यदि रिफंड के दिन से 30 दिनों के भीतर कार्ड खाते में क्रेडिट नहीं होता है, तो कार्डधारक को बिक्री पर्ची के साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को सूचित करना होगा।
9. कई खातों से जुड़े कार्डों के मामले में, व्यापारी प्रतिष्ठानों में लेनदेन केवल प्राथमिक खाते पर ही लागू किए जाएंगे। लेनदेन के लिए किसी संचयी शेष राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. कार्डधारक कार्ड का उपयोग कर किए गए सभी लेनदेनों और पिन आधारित लेनदेनों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

एटीएम का उपयोग

1. यह कार्ड गोपनीय पिन की सहायता से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम और विश्व भर में रुपये सक्षम एटीएम पर स्वीकार किया जाता है। और पिन द्वारा किए गए सभी लेन-देन पूरी तरह से कार्डधारक का उत्तरदायित्व होंगे।
2. ग्राहक द्वारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार प्रति दिन प्रति लेन-देन केवल एक निश्चित राशि ही निकाली जा सकती है। यदि किसी भी समय ग्राहक द्वारा सीमा का उल्लंघन किया जाएगा, तो ग्राहक से कार्ड सुविधा वापस ली जा सकती है।
3. भारत से भिन्न अन्य देशों में रुपये सक्षम एटीएम पर कार्डधारक द्वारा की गई नकद निकासी और शेष राशि की जाँच, शुल्कों के प्रचलित टैरिफ के अनुसार शुल्कों के अधीन होगी। भारत में रुपये एटीएम (गैर-जना स्मॉल फाइनेंस बैंक) पर नकद निकासी और शेष राशि की जाँच भी शुल्क के अधीन हो सकता है (जैसा कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए)।
4. ग्राहक द्वारा नकद निकासी और शेष राशि की जाँच के अलावा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम पर कार्ड से कार्ड ट्रांसफर किया जा सकता है, लघु खाता विवरण जनरेट किया जा सकता है, चेकबुक का अनुरोध किया जा सकता है, पिन में परिवर्तन किया जा सकता है, खाता विवरण का अनुरोध जा सकता है, फास्ट कैश और मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण किया जा सकता है।
5. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्ड और संबंधित पिन के खोने/उपयोग से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी परिणामी या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह किसी भी कारण से हो।

शुल्क

1. वित्तीय (धन निकासी/जमा/कार्ड से कार्ड ट्रांसफर)/गैर-वित्तीय (आधार सीडिंग, शेष राशि की जाँच, पिन में परिवर्तन, मोबाइल नंबर में परिवर्तन) लेनदेन के लिए लेनदेन शुल्क वित्तीय/गैर-वित्तीय लेनदेन पोस्ट करते समय खाते से डेबिट किया जाएगा।
2. विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों को ग्राहक के बैंक खाता विवरण में भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा। आपके द्वारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को विदेशी मुद्रा में आपके लेनदेनों को समतुल्य भारतीय रुपए में परिवर्तित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

3. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्राहक को पूर्व सूचना देकर डेबिट कार्ड के उपयोग पर लागू शुल्कों/प्रभारों में बदलाव या संशोधन करने की स्वतंत्रता है

डेबिट कार्ड की विशेषताएँ

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, समय-समय पर, अपने विचार से आपके डेबिट कार्ड पर विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर सकता है। बैंक किसी भी समय किसी भी सेवा प्रदाता / व्यापारी / आउटलेट / एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी उत्पाद या सेवा की प्रभावशीलता, क्षमता, उपयोगिता की गारंटी या वारंटी नहीं देता है। यदि कोई विवाद है तो ग्राहक को बैंक को शामिल किए बिना उसे व्यापारी/एजेंट से उठाना होगा।

जानकारी का प्रकटीकरण

1. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक/आरबीआई ग्राहक की जानकारी को प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें कार्डधारक और/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों का नाम शामिल है, यदि ग्राहक किसी सक्षम न्यायालय, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य शाखा में कार्ड के कारण किसी भी राशि के भुगतान या पुनर्भुगतान में चूक करता है।
2. कार्डधारक ग्राहक की जानकारी सत्यापित करने के लिए किसी भी मामले से संबंधित कोई भी जानकारी, अभिलेख या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बाध्य है। यदि किसी भी मामले में कार्डधारक द्वारा ऐसा करने से मना किया जाएगा या दिया गया डेटा गलत पाया जाएगा, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्ड को रद्द करने और लिंक किए गए खाते को निष्क्रिय करने के लिए अधिकृत है।

खो गया या चोरी हो गया कार्ड

1. यदि कार्ड खो या चोरी हो जाता है, तो ग्राहक को आपातकालीन संपर्क नंबर या रुपये सेवा केंद्र हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्यालय को इसकी सूचना देनी चाहिए। ग्राहक को सत्यापन प्रक्रिया के लिए डेबिट कार्ड नंबर, खाता संख्या, पता, जन्मतिथि आदि बतानी होगी। किसी भी स्थिति में ग्राहक के लिए पिन बताना निषिद्ध है। आपातकालीन संपर्क नंबर के माध्यम से कार्ड को ब्लॉक करने के साथ-साथ ग्राहक को जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को कार्ड के खो जाने/चोरी होने के बारे में लिखित रूप से सूचित करना चाहिए।
2. ग्राहक से ब्लॉक करने का अनुरोध प्राप्त होने से पहले किए गए लेनदेनों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार के लेनदेनों को केवल कार्ड धारक को वहन करना होगा। एटीएम के माध्यम से नकद निकासी पर कोई कवरेज नहीं होगा, क्योंकि उक्त लेनदेन के लिए आपके पिन की आवश्यकता होती है जो आपके लिए पूरी तरह से गोपनीय है।
3. बशर्ते आपने सभी मामलों में नियम और शर्तों का पालन किया हो, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के विवेक पर लागू शुल्क पर एक रिप्लेसमेंट कार्ड जारी किया जा सकता है।
4. यदि कार्ड ब्लॉक करने के बाद वापस मिल जाए तो कृपया कार्ड को नष्ट कर दुरुपयोग रोकने के लिए उसे टुकड़ों में काट दें।

बीमा

1. कार्ड के लिए प्रदान किए जाने वाले बीमा हितलाभ बीमा कंपनी की शर्तों और नीतियों के अनुसार होंगे। साथ ही हितलाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक को जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का सक्रिय कार्डधारक बने रहना होगा। यदि किसी भी कारण से ग्राहक की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो ऐसे बीमा का हितलाभ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
2. कार्डधारक के साथ दावे के निपटान के लिए पूरी तरहसे बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी।
3. आपसे मामले की आवश्यकताओं के अनुसार, अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
4. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दावों के किसी भी विलंबित निपटान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्ड की किसी भी हानि, चोरी या नकल की सूचना बैंक को दिए जाने तक, होने वाली हानि कार्डधारक द्वारा वहन की जाएगी, लेकिन उपयोग मार्गदर्शिका में उल्लिखित खो गया कार्ड देयता सीमा के अनुसार केवल एक निश्चित सीमा तक, सिवाय इसके कि जहाँ कार्डधारक ने धोखाधड़ीभरा, जानबूझकर या अत्यधिक लापरवाही से काम किया हो।

विवरण और अभिलेख

1. कार्डधारक द्वारा किसी शाखा में जाकर या जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के कॉल सेंटर में कॉल कर, अपने लेन-देन का मौखिक या लिखित विवरण प्राप्त किया जा सकता है।
2. ग्राहक को आवधिक आधार पर कार्ड विवरण ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। ग्राहक द्वारा किसी भी जना एटीएम में लघु खाता विवरण सुविधा उपयोग करके भी लेन-देन का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।
3. ग्राहक द्वारा अपने मोबाइल बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग चैनल में लॉग इन करके सभी लेन-देनों को देखा जा सकता है।
4. कार्ड के उपयोग से संसाधित लेन-देन का जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिकॉर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

विवाद

1. किसी भी लेनदेन के लिए किसी भी व्यापारी स्थान पर यदि बिक्री पर्ची पर अंकित कार्ड नंबर के साथ कार्डधारक के हस्ताक्षर पाए जाएंगे, तो उसे लेनदेन का अंतिम प्रमाण माना जाएगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी स्थिति में कार्डधारक को वस्तुएँ/सेवाएँ न मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी व्यापारी द्वारा कार्ड स्वीकार करने और/या उसका सम्मान करने से इनकार करने का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है।
3. यदि कार्डधारक का खाता विवरण में कोई विवाद है, तो उन्हें विवरण तैयार होने के 15 दिनों के भीतर विवाद उठाना होगा। जबकि बैंक अपने एकमात्र विवेक से 15 दिनों से अधिक पुराने विवादों पर भी विचार कर सकता है।
4. साझा नेटवर्क वाले एटीएम लेनदेन के संबंध में किसी भी विवाद का रुपये कार्ड के विनियमों के अनुसार समाधान किया जाएगा।
5. बैंक सिस्टम की खराबी के कारण कार्डधारक द्वारा उठाए गए प्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा जो सीधे बैंक के नियंत्रण में होगा। हालांकि, बैंक को भुगतान प्रणाली की ऐसी तकनीकी विफलता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा जो उसके उचित नियंत्रण से बाहर हो। इसके अलावा, यदि कार्डधारक को डिवाइस के डिस्प्ले पर संदेश या अन्यथा द्वारा सिस्टम में खराबी का पता चल जाता है, तो लेनदेन के गैर-निष्पादन या दोषपूर्ण निष्पादन के लिए बैंक का उत्तरदायित्व मूल राशि तक सीमित होगा, और ब्याज की हानि नियमों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रावधानों के अधीन होगी।

शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति की रूपरेखा

किसी भी शिकायत के लिए, कृपया निकटतम शाखा से संपर्क करें या customercare@janabank.com पर मेल करें आप अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए <https://www.janabank.com/grievance-redressal> पर जा सकते हैं।

सामान्य

1. कार्डधारक को नियोजन और/या कार्यालय और/या आवासीय पते और टेलीफोन नंबरों में किसी भी बदलाव के बारे में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिखित रूप से सूचित करना होगा। इसके अंतर्गत डाक द्वारा भेजी गई कोई भी सूचना, कार्डधारक द्वारा लिखित रूप से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिए गए पते पर अधिसूचना पोस्ट करने के 7 दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा प्राप्त की गई मानी जाएगी।

2. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्डधारक को सूचित कर किन्हीं नियमों व शर्तों, नीतियों, सुविधाओं और लाभों को जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लाभ प्रदान करने वाले तृतीय पक्ष की वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता या किसी भी असंतोष के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
4. डेबिट कार्ड से संबंधित सभी मामलों में, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का निर्णय सभी मामलों में अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को इन नियमों व शर्तों को पढ़ने, समझने और स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

समाप्ति

1. कार्डधारक द्वारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिखित पुष्टि देकर, साथ ही कार्ड और अतिरिक्त कार्डों (यदि कोई हों) को तिर्यक रूप से दो टुकड़ों में काटकर और वापस कर कार्ड को कभी भी बंद / समाप्त किया जा सकता है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप केवल जना अधिकारी को ही कार्ड सौंपें और अपना कार्ड सौंपने से पहले बैंक अधिकारी की पहचान आपके द्वारा स्थापित की जाए।
2. यदि कार्डधारक द्वारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना खाता बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो उसके साथ जारी किया गया कार्ड भी रद्द हो जाएगा। यदि कार्ड से कोई बकाया शुल्क डेबिट नहीं किया गया होगा तो खाता बंद करने से पहले उसे काट लिया जाएगा।
3. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय कार्ड या किसी अन्य सेवा को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
4. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक तत्काल प्रभाव से डेबिट कार्ड सुविधा को समाप्त करने का अधिकारी होगा और निम्नलिखित में से कोई भी घटना होने पर कार्ड वापस कर दिया जाएगा:
 - I. इसमें निर्धारित नियमों व शर्तों का पालन न कर पाना।
 - II. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किए गए किसी अनुबंध या वचनबद्धता (आकस्मिक या अन्यथा) के तहत चूक की घटना।
 - III. कार्डधारक का किसी दिवालियापन, ऋणशोधन अक्षमता कार्यवाही या ऐसी ही प्रकृति की कार्यवाही के अधीन होना।
 - IV. कार्डधारक द्वारा खाते को बंद करना या उक्त खाते में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखने में विफलता।

शासी कानून और क्षेत्राधिकार

1. यह सुविधा और इसके नियम व शर्तें भारत में लागू कानूनों द्वारा नियंत्रित हैं।
2. सुविधा और/या इसमें दिए गए नियमों व शर्तों से संबंधित कोई भी विवाद या दावा बेंगलुरु स्थित सक्षम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन है और ग्राहक बेंगलुरु स्थित ऐसे अनन्य क्षेत्राधिकारों से सहमत है।